प्रेस नोट
जनपद सीतापुर
हत्या का वांछित अभियुक्त दो घंटे में गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2020 धारा 302/323/34 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त वकील यादव उर्फ आनन्द यादव पुत्र सिरदार यादव निवासी निबहरी मजरे नेरी कला थाना रामकोट जनपद सीतापुर को अभियोग पंजीकृत करते हुए दो घंटे के अंदर दबिश देकर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट बरामद की गयी। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश करने हेतु भेजा जा रहा है। शेष दो अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिये टीम गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। दिनांक 02.09.2020 को अभियुक्त वकील यादव उपरोक्त की अपने चचेरे भाई से पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट हुई थी जिसमें अभियुक्त वकील उपरोक्त द्वारा अपने भाई पर ईंट से प्रहार कर दिया गया था जिससे चोट लगने से भाई दीपू उर्फ कृष्णा की मृत्यु हो गयी थी। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 412/2020 धारा 302/323/34 भा0द0वि0 थाना रामकोट,सीतापुर।

नाम पता अभियुक्त

वकील यादव उर्फ आनन्द यादव पुत्र सिरदार यादव नि0 निबहरी मजरे नेरी कला थाना रामकोट जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना रामकोट

प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार राय , उ0नि0 श्री ओम प्रकाश सरोज , का0 अरविन्द कुमार , का0 आशीष कुमार , का0 राहुल पटेल ।

"जनता से मिलने का समय"
प्रातः 10.00 से दोपहर 2 बजे तक
विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA